न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-88/2018-19

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

हरिपद हजाम बनाम कुमारी शकुन्तला

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता – हरिपद हजाम, पिता–स्व० मोहन हजाम, ग्राम–कोइजानीगुरहा, पो०–रड़गाँव, थाना–तमाड़ अनुमण्डल–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–हजाम, पेशा–खेतीबारी।

क्रेता का नाम एवं पता – कुमारी शकुन्तला, पति–सुजेन चन्द्र महतो, ग्राम–गांगी, पो०–रड़गाँव, थाना–तमाड़, अंचल–तमाड़ अनुमण्डल–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–खेतीबारी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम – श्री गिरधारी महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–07/06/18 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता कुमारी शकुन्तला, पति–सुजेन चनद्र महतो, ग्राम–गांगी, पो०–रड़गाँव, थाना–तमाड़, अंचल–तमाड़ अनुमण्डल–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–खेतीबारी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी हैः–

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
कोइजानीगुरहा	तमाड़	180	72	157	34.5 डी
				158	06 डी०

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है

अंचल अधिकारी, तमाड़, का पत्रांक–370(ii) दिनांक–12/07/18 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम मोहन हजाम वो भोगल हजाम वो केशव हजाम वो गोपाल हजाम, पिता–मोची हजाम कौम हजाम है।

(2) विक्रेता हरिपद हजाम, खतियानी रैयत मोहन हजाम के पुत्र है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम मोहन हजाम वगैरह है तथा रैयत के पास रकवा–12.08 एकड़ भूमि है।

(4) जमीन का मालगुजारी वर्ष 2013–14 तक वसूली गई है।

(5) आवेदक जमाबंदी रैयत मोहन हजाम के पुत्र है, तथा जमाबंदी खतियानी भूमि के आधार पर कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन दोन दो किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकवा–11.67½ एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को अपने बेटी की शादी करने हेतु विक्रय करना चाहते है।

(9) संलग्न प्रमाण पत्र के अनुसार क्रेता एवं विक्रेता दोनो ही पिछड़ी जाति के अन्तर्गत है।

(10) संलग्न प्रमाण पत्र के अनुसार क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना–तमाड़ अन्तर्गत क्षेत्र के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, तमाड़ ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत विक्रेता हिरपद हजाम, पिता–स्व० मोहन हजाम, ग्राम–कोइजानीगुरहा, पो०–रड़गाँव, थाना–तमाड़, अंचल–तमाड़, अनुमण्डल–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–हजाम, पेशा–खेतीबारी, को क्रेता कुमारी शकुन्तला, पति–सुजेन चन्द्र महतो, ग्राम–गांगी, पो०–रड़गाँव, थाना–तमाड़, अनुमण्डल–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–कुर्मी पेशा–खेतीबारी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–14/07/2018 को आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, तमाड़ के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता हिरपद हजाम, पिता–स्व० मोहन हजाम, ग्राम–कोइजानीगुरहा, पो०–रड़गाँव, थाना–तमाड़, अंचल–तमाड़, अनुमण्डल–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–हजाम, पेशा–खेतीबारी,

को क्रेता कुमारी शकुन्तला, पति–सुजेन चन्द्र महतो, ग्राम–गांगी, पो०–रड़गाँव, थाना–तमाड़, अनुमण्डल–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–कुर्मी पेशा–खेतीबारी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना / थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
कोइजानीगुरहा	तमाड़ / 180	72	157 158	3405 डी० 06 डी०

लेखापित एवं संशोधित।

19/07/18

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।

19/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।

बुण्डू।